FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** ई ओ डब्लू **P.S. (थाना):** ईओडब्ल्यू

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0105 **Year (वर्ष):** 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 15/07/2025 18:44 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/04/2015 **Date To (दिनांक तक):** 17/02/2021

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/07/2025

Time (समय): 18:33 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004

Date & Time (दिनांक और समय): 15/07/2025 18:44

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व, 315 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) **Address (पता):** जिला जबलपुर

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**

Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name (नाम):** विशाखा तिवारी, उप निरीक्षक द्वारा आरक्षक सुमित रजक
   (b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :** श्री राम शंकर रजक
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 11/06/1985 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत
   (e) **UID No. (यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No.(पासपोर्ट सं.):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1	आधार कार्ड (भा वि प प्रा)	425310173705

   (h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	टी व्ही टावर कटंगा , आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई ,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	टी व्ही टावर कटंगा , आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई ,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत

   (i) **Occupation (व्यवसाय):**
   (j) **Phone number (दूरभाष सं.):**
   Mobile (मोबाइल सं.): 91-9713577559

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	हरभजन सिंह चौपड़ा /		पिता का नाम : हरमिंदर सिंह चौपड़ा	1. निवासी-मनं 684/1, नेपियर , टाउन ,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत
2	कंवरजीत सिंह चौपड़ा उर्फ राजा /		पिता का नाम : हरभजन सिंह चौपड़ा	1. निवासी-मनं 684/1, नेपियर , टाउन,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत
3	देवाशीष यादव /		पिता का नाम : राजेन्द्र यादव	1. निवासी-मनं डी 1546/1-ए, , खेरमाई मंदिर के सामने, कजरवार,महारानी लक्ष्मीबाई

				वार्ड,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

4	अयाज खान /		पिता का नाम : रियाज खान	1. निवासी-मनं 225 गिरनार , अपार्टमेंट, नेपियर टाउन , जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

5	रहमान अली /		पिता का नाम : गफ्फार अली	1. निवासी-मनं डी, नत्थूमल स्कूल के पीछे, सनातन धर्म मंदिर रोड, गोरखपुर, ,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल म.प्र मे निरीक्षक कार्यवाहक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हू। आज दिनांक 14.07.2025 को आरक्षक सुमित रजक , आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर ने टाईपशुदा एंव विशाखा तिवारी, उप निरीक्षक, इकाई जबलपुर द्वारा हस्ताक्षरित शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट क्रमांक 00/2025, धारा 420,120बी, भारतीय दण्ड विधान का इकाई जबलपुर से लाकर थाने पर असल नम्बर पर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत की गयी, जो शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट की नकल निम्नानुसार है:-बिना नम्बरी प्रथम सूचना पत्र अपराध क्रमांकः- 0/2025 धारा-420, 120बी, भारतीय दण्ड विधान घटना का दिनांकः- दिनांक 29.04.2015 से 17.02.2021 तकघटना स्थलः-जिला जबलपुरथाने से दिशा एवं दूरीः- 315 कि.मी. पूर्व बिना नम्बरी प्र.सू.प. का दिनांक व समयः- दिनांक 14.07.2025 के 16::30 बजेज्ञात/अज्ञात संदेही/आरोपियों का नाम पताः-(1) हरभजन सिंह चौपड़ा पिता हरमिंदर सिंह चौपड़ा निवासी-म.नं. 684/1, नेपियर टाउन जबलपुर ।(2) कंवरजीत सिंह चौपड़ा उर्फ राजा पिता हरभजन सिंह चौपड़ा निवासी-म.नं. 684/1, नेपियर टाउन जबलपुर ।(3) देवाशीष यादव पिता राजेन्द्र यादव निवासी-म. नं. डी 1546/1-ए, खेरमाई मंदिर के सामने, कजरवारा महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड जबलपुर (4) अयाज खान पिता रियाज खान निवासी-म.नं. 225 गिरनार अपार्टमेंट, नेपियर टाउन जबलपुर।(5) रहमान अली पिता गफ्फार अली निवासी-म.नं. डी, नत्थूमल स्कूल के पीछे, सनातन धर्म मंदिर रोड, गोरखपुर, जबलपुर। कायमीकर्ताः-विशाखा तिवारी उप निरीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई, जबलपुर। आधार नम्बर- 452861361977अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा दिये जाने में विलम्ब का कारणः-निरंक। विवरणमैं आर्थिक

अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। उपरोक्त शिकायत आवेदक श्री रवि डेंगरा पिता श्री चोईथराम डेंगरा, जबलपुर द्वारा अनावेदक श्री कंवरजीत सिंह चौपड़ा उर्फ राजा चौपड़ा जबलपुर के विरुद्ध की गई शिकायत से शिकायत क्रमांक 40/24 का पंजीयन मुख्यालय भोपाल में दिनांक 19.03.2024 को किया गया। मुख्यालय के पत्र क्रमांक/ अपराध/जबल/शिका-40(24)/512ए/2024 भोपाल दिनांक 26.03.2024 के माध्यम से जबलपुर इकाई को प्राप्त हुई। उपरोक्त शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई, जबलपुर के आदेश क्र/आ.अ.प्रको./जबल/ शी.ले./1837-ए/24 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से मुझ जांचकर्ता विशाखा तिवारी को प्राप्त हुई। शिकायत में अनुचित लाभ अर्जित करने की नियत से शासन की भूमि को विक्रय करने एवं म.प्र. शासन को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासन को हानि पहुंचाने बावत.जांच के दौरान प्रार्थी श्री रवि डेंगरा पिता श्री चोईथराम डेंगरा, जबलपुर के कथन लेख किये, मुख्य उप पंजीयक जबलपुर से तथा वरिष्ठ उप पंजीयक जबलपुर-2 से विक्रय पत्रों की सत्यापित प्रतियां प्राप्त की गई। साथ ही जांच में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर से चौपड़ा काम्प्लेक्स का अनुमोदित विकास अनुज्ञा पत्र, मानचित्रों सहित सत्यापित प्राप्त किया गया । इसके अतिरिक्त जांच के दौरान भवन शाखा नगर पालिक निगम जबलपुर से चौपड़ा काम्प्लेक्स का निरीक्षण कर उसके स्वीकृत नक्शे में किये गये फेर बदल के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई, प्राप्त रिपोर्ट के अध्ययन पर पाया गया कि कामन पेसेज कारीडोर/स्टेयर केस हरभजन सिंह चौपड़ा तथा कंवरजीत सिंह चौपड़ा द्वारा विक्रय कर दिया गया है साथ ही स्टेयर केस एवं पार्किंग एरिया के अधिकांश भाग को अयाज खान एवं रहमान अली को विक्रय किये जाने के साक्ष्य प्राप्त हुये है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि प्रथम मंजिल के कोरीडोर को देवाशीष यादव को विक्रय कर दिया गया है। रिपोर्ट के साथ में अयाज खान पिता रियाज खान, देवाशीष यादव पिता राजेन्द्र यादव तथा रहमान अली पिता गफ्फार अली को की गई रजिस्ट्रियों की प्रतियां भी संलग्न की गई थी। अपर आयुक्त, कार्यालय भवन शाखा, नगर पालिका निगम जबलपुर के द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में पूछताछ कर कथन लेख किये गये। श्री विद्यानंद बाजपेयी, अपर आयुक्त, भवन शाखा, नगर पालिका निगम जबलपुर द्वारा कथन में बताया कि गोरखपुर कटंगा में स्थित चौपड़ा चैम्बर्स में दर्शाए गये कामन पेसेज तथा पार्किंग के विक्रय के संबंध में स्थल निरीक्षण हेतु 03 सदस्यीय समिति गठन कर प्रतिवेदन इस इकाई को प्रेषित किया गया। उक्त प्रतिवेदन पूर्णतः सत्य है जो टीम सदस्य द्वारा मौके पर निरीक्षण कर तैयार किया गया है। प्राप्त समस्त दस्तावेजों के अध्ययन व विश्लेषण करने पर पर पाया गया कि हरभजन सिंह चौपड़ा तथा कंवरजीत सिंह चौपड़ा द्वारा कटंगा क्रासिंग स्थित चौपड़ा चैम्बर नामक काम्प्लेक्स में पूर्व में 820 वर्गफुट ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम तल, द्वितीय तल, क्रमशः की रजिस्ट्री प्रार्थी रवि डेंगरा के नाम की थी। साथ ही 306.79 वर्गफुट की पृथक पृथक कुल 07 दुकानें ग्राउण्ड, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल की रजिस्ट्री भी प्रार्थी रवि डेंगरा के नाम पर की गई थी। स्वीकृत नक्शा अनुसार ओपन कारिडोर, ओपन गैलरी, ऊपर नीचे आवागमन हेतु सिढिया, इत्यादि कामन पैसेज, ग्राउन्ड फ्लोर पर पार्किंग दर्शाये गये थें किंतु हरभजन सिंह चौपड़ा तथा कंवरजीत सिंह चौपड़ा द्वारा स्वीकृत नक्शे में दर्शाये गये कामन कारिडोर, कामन पैसेज एवं कामन सिढियों आवागमन हेतु का अवैध रूप से कब्जा कर प्रथम मंजिल के कोरीडोर को धोखाधड़ी कर आपराधिक षड़यंत्र रचकर क्रेता देवाशीष यादव पिता राजेन्द्र यादव, अयाज खान पिता रियाज खान तथा रहमान अली पिता गफ्फार अली को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित करना प्रमाणित पाया गया। उक्त क्रेतागणों ने यह जानते हुये कि विक्रय पत्र में वर्णित क्रय की जाने वाली संपत्ति कारीडोर व कामन पेसेज है बावजूद अवैध रुप से क्रय करना प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी (1) हरभजन सिंह चौपड़ा पिता हरमिंदर सिंह चौपड़ा निवासी-म.नं. 684/1, नेपियर टाउन जबलपुर (2) कंवरजीत सिंह चौपड़ा उर्फ राजा पिता हरभजन सिंह चौपड़ा निवासी-म.नं. 684/1, नेपियर टाउन जबलपुर (3) देवाशीष यादव पिता राजेन्द्र यादव निवासी-म.नं. डी 1546/1-ए, खेरमाई मंदिर के सामने, कजरवारा महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड जबलपुर (4) अयाज खान पिता रियाज खान निवासी-म.नं. 225 गिरनार अपार्टमेंट, नेपियर टाउन जबलपुर (5) रहमान अली पिता गफ्फार अली निवासी-म.नं. डी, नत्थूमल स्कूल के पीछे, सनातन धर्म मंदिर रोड, गोरखपुर, जबलपुर के विरुद्ध धारा-420, 120बी, भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने के लिये

विना नम्बरी प्रथम सूचना पत्र तैयार किया जाकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल भेजी जाती है। (विशाखा तिवारी)उप निरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर हस्ताक्षर विशाखा तिवारी, उप निरीक्षक, विवेचक/जांचकर्ता, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर म.प्र। शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट पर से थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल मध्यप्रदेश में उपरोक्त वार्णित आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 105/2025, दिनांक 15/07/2025, धारा ,420,120बी, भारतीय दण्ड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |) **or** (या)

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): Vishakha tiwari
No.(सं.): XXXXXXXXXX
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.**(थाना): **District** (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.) थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):GOPAL NIGWAL
Rank(पद): OFFICIATING INSPECTOR
No.(सं.): 01

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	अज्ञात					
2	पुरुष					
3	पुरुष					
4	पुरुष					

5	पुरुष					

Deformities/	Teeth	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोटेर्मा(सफ़ेद	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)